1998, that is, during this month, and then we will take a decision.

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र की तरफ से अभी भी कोई प्रपोजल आएगा तो आप उस पर सोचेंगे?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Pradhan, that matter is over now.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE LOTTERIES (REGULATION) OR DINANCE, 1998

II. THE LOTTERIES (REGULATION) BILL, 1998 (Contd.)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : श्री ओ0पी0 कोहली । कोहली जी, आपकी पार्टी से पांच लोगों के नाम है और 12 मिनट का समय है, कृपया एक-दो मिनट में समाप्त कीजिए

श्री ओम प्रकाश कोहली (दिल्ली) : ठीक है, उपसभाध्यक्ष जी, मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा ।

उपसभाध्यक्ष जी, इस बारे में पूरे समाज की एक राय है कि लॉटरी एक सामाजिक बुराई है जिसका व्यक्ति और समाज के स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक असर होता है, इसलिए

लॉटरी बैन होनी चाहिए । मनुष्य के व्यक्तितत्व और चरित्र पर लॉटरी के होने वाले नकारात्मक परिणामों को देखते हुए लॉटरी को बैन किया जाना अत्यंत आवश्यक है । लॉटरी व्यक्ति को भाम्पवादी बनाती है, उसकी कर्मण्यता को तोड़ती है, उसके पुरुषार्थ को कम करती है, उसमें लालच की प्रवृत्ति विकसित करती है और परिवारों पर इसके घातक परिणाम होते है । इस लॉटरी के चलते घरों में महिलाएं सबसे अधिक दुखी होती है । लॉटरी के घातक परिणामों को 1808 में ब्रिटेन की सिलेक्ट कमेटी ने अपनी एक टिप्पणी में बहुत ही प्रिसाइज़ और संक्षिप्त तरीके से कहा है । मैं समझता हूं कि उन दो परिस्थितियों को मैं पढ़ दूं तो लॉटरी के घातक परिणाम क्या होते है, वे ज़िस्ट रूप में हमारे सामने आ जाएंगे । सिलेक्ट कमेटी ने अपनी टिप्पणी मे कहा थाः-

> As a result of lotteries, idleness, dissipation and poverty "increased, domestic comfort is destroyed, madness often created.

इसलिए लॉटरी पर बैन पाबंदी लगना समाज के हित में, व्यक्ति के हित में और परिवार के हित में है । सबसे ज्यादा इस लॉटरी का और विशेष रूप से सिंगल डिजिट लॉटरी का जो अनर्थकारी परिणाम होता है वह समाज के कमजोर वर्ग पर, गरीब वर्ग पर, मेहनतकश वर्ग पर, कम आयु वाले वर्ग पर होता है जिसके लिए हम एक ओर इस वर्ग का अकल्याण हो, अनर्थ हो, इसके लिए लॉटरी का व्यापार चलता है । इसलिए अगर हम कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग के कल्याण की योजनाएं चलाते है तो यह बहुत आवश्यक है कि जो चीज उनका अकल्याण करती है, उस लॉटरी के व्यापार को बंद किया जाए । लॉटरी के व्यापार को जारी रखने में राज्यों को इसलिए रुचि हो सकती है क्योंकि इससे राजस्व प्राप्ति होती है लेकिन कुल मिलाकर लॉटरी का जो टर्न-ओवर है और इससे होने वाले राजस्व की प्राप्ति का अनुपात नकारात्मक है क्योंकि राजस्व प्राप्ति बहुत नगण्य सी होती है । लेकिन राजस्व प्राप्ति अधिक हो या कम हो, अगर व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए लॉटरी एक घातक वस्तु है तो उससे होने वाली राजस्व प्राप्ति चाहे कितनी भी बडी क्यों न हो, उसको बंद किया जाना आवश्यक है ।

महोदय, कुछ माफिया तत्व ऐसे है जिनका वेस्टेड इंट्रस्ट है लॉटरी को चालू रखने में । इसलिए वे नकली टिकटे छापते है, इनाम के पैसे का गबन होता है, इनाम पाने वालों को हैरेस किया जाता है और अनेक प्रकार की अनीयमितताएं इस ट्रेड में माफिया के द्वारा होती है और वे चाहते हैं कि यह ट्रेड चालू रहे । महोदय, यह सरकार बधाई की पात्र है कि उसने लॉटरी के इन दुष्परिणामों को रिकोगनाईज किया और लॉटरी को बंद करने के लिए वह विधेयक लेकर आई है । महोदय, सवाल यह नही है कि सिंगल लॉटरी वर्सेज टोटलबैन ऑन लॉटरी । यह सवाल सिंगल डिजिट लॉटरी बनाम लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने का नही है । लॉटरी पर तो पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र ही लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कांप्रिहैंसिव लेजिस्लेशन लाएंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय जो आर्डिनेंस के कारण सिंगल डिजिट लॉटरी पर रोक लगी हुई है, यह रोक तो जारी रहनी ही चाहिए और इसलिए यह विधेयक पारित होना चाहिए ।

महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस संबंध में शीघ्र ही एक कांप्रिहैंसिव लेजिस्लेशन लाने की आवश्यकता है जो सब प्रकार के कानूनी पहलुओं से पुख्ता और मजबूत हो । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे तैयार करने में राज्यों की राय भी ली जाए और एक

F बिल इस बारे में लाया जाए ताकि लॉटरी का जो यह अभिशाप समाज में चल रहा है, यह हमेशा के लिए बंद हो सके।

महोदय, मैं बहुत चकित हूं और मुझे बहुत दुःख हुआ इस बात से कि बात को इस तरीके से सदन में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई कि जैसे सवाल सिंगल डिजिट लॉटरी पर बैन लगाने बनाम लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का है। यह सवाल ऐसा नही है। सिंगल डिजिट लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध तो आर्डिनेंस की मारफ्त लगा हुआ है और अब विधेयक की मारफ्त उसी को जारी रखने की बात है ताकि वैक्युम या शून्य की स्थिति पैदा न हो और गरीब लोगों के लिए अनर्थकारी परिणाम पैदा न हो।

महोदय, आने वाले दिनों में एक कांप्रिहेसिव लेजिस्लेशन लाकर लॉटरी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा,मंत्री जी के इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद मुझे लगता है कि यह जो विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है और स्टैडिंग कमेटी द्वारा जो सिफारिश की गई है, वह उसी भावना के अनुरूप है। इसलिए इस विधेयक को यह सदन सर्वसम्मति से पारित करें, ऐसा मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

SHRI CO. POULOSE (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Lotteries (Regulation) Bill, as is presented before the House, has certain weaknesses, but before I come to that point, I express my gladness that the Home Minister, while presenting the Bill, has accepted that there are reservations and he is prepared to bring a comprehensive Bill as soon as practicable.

Now I come to the weaknesses which I see in the Bill. A State Government is authorised to prohibit the sale of tickets of a lottery run by another State. But when one State Government prohibits of lottery, the other State Government may allow the sale of tickets. All the State Governments conduct more than one lottery at a time. Some States may allow the sale of tickets of lotteries of some States and, at the same time, prohibit the sale ' of tickets of lotteries of some other States. This will lead to a question of discrimination between the States and between the scheme of lotteries. The courts may take cognisance of the matter and give a verdict of discrimination against such States. That will cause great difficulty to the operation of these programmes. This is my first point. The State Governments can organise, promote and conduct lotteries at their own will. What is meant by promotion? The State Governments can authorise anyone to conduct lotteries. It can be an individual or a firm, Indian or foreign. For example, the Nepalese Government or the Bhutanese Government is conducting lotteries. The tickets are freely sold in our country. There is no provision to prohibit or regulate the sale of lottery tickets of our neighbouring countries. This is my second

point. The third point is this. Under clause 4 it is stated that prizes shall not be offered on any pre-announced number or on the basis of a single digit. It means that it regulates and prohibits only single digit lotteries. But there are other types of lotteries, there are three-digit lotteries. Some others are proclaiming heavy rewards. There are something called

instant lotteries. There is no provision to prohibit such type of lotteries. Such a provision is missing in this Bill. Only the single-digit lotteries are being prohibited by this Bill. Some amendment was proposed in this House to prohibit three-digit lotteries also. I request the Government to accept that suggestion to prohibit three-digit lotteries.

The next point is that the State Governments, who are conducting lotteries, cannot supervise their operations throughout India. A State Government can supervise the functioning of lotteries in that State. There has been some mechanism. When the tickets are sold in other States, a State Government cannot supervise the work of lotteries in those States, This will lead to various kinds of malpractices. Various kinds of malpractices are going on in each and every State. The agents who conduct these lotteries print tickets, sell tickets, take lots and distribute the

prizes without the consent or the concurrence of the State Government. It is being done because there is an in-built system in the present lottery arrangements. That is why the agents can do all these things. If we are to prevent these malpractices, there should be a comprehensive arrangement to see that no agent, no promoter, no organiser can do such mischief in the name of lotteries. There should be some provision. Such a provision is missing in this Bill. According to the Constitution, under financial discipline the State Governments are to regulate betting and gambling. Can the Central Government intervene to limit the powers of the State Governments to control these malpractices? There is some problem. It may perhaps lead to controlling or limiting the powers given to the State Governments in financial matters as per the Constitution.

While dealing with these problems the Government should look into the problems of lakhs and lakhs of workers. Most of them are poor people and some of them are handicapped people. These people are not employed by employers or any organisation. They are self-employed people. There may not be an accurate account of how many people are working in this field. The Government should protect the interests of these people. Sir, there is no provision in this bill to deal with these things.

The Home Minister has promised that he would discuss it with the Chief Ministers of all the States and the heads of Union Territories to find out a comprehensive way to regulate the conduct of lotteries. If such a thing happens, it will be very helpful to regulate the conduct of lotteries. I hope the Government would come forward with a comprehensive Bill as soon as possible. In the meantime, I am supporting this Bill.

Though there are many weaknesses in this Bill, I am supporting this Bill.

Thank you.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, एक अंक की लॉटरी समाप्त करने का विधेयक कल गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। इसके समर्थन में गृह मंत्री जी ने बहुत खुले मन से अपने विचार प्रकट किए और मैं इनकी प्रशंसा भी करूंगा कि इन्होंने इसको महसूस किया कि देश में जो लॉटरी चल रही है, यह गलत है। इससे गरीब बरबाद हो रहा है और देश की बरबादी खासकर गरीब लोगों की बरबादी का कारण यह लॉटरी है।इसलिए गृह मंत्री जी ने कहा कि हम इसको समाप्त करेंगे, अभी एक अंक की और आगे चलकर तीन अंक की। लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा कि हमें इस समय तीन अंक वाली लॉटरी समाप्त करने में कठिनाई है। उन्होंने वित्त विभाग के, गृह मंत्रालय के अधिकारियों से और दूसरे मंत्रालयों से जब राय ली, जैसा कि वे कल कह रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि 8 जुलाई तक हम कोई ऐसा विधेयक नही ला सकते। दूसरी व्यावहारिक कठिनाई इन्होंने यह बतलाई कि राज्य सरकारों से राय लेनी पड़ेगी। मान्यवर,हमारा निवेदन यह है कि अगर गृह मंत्री जी की ओर सरकार की इच्छाशक्ति है तो 8 जुलाई क्या, 8 घंटे में विधेयक आ सकता है और मान लें कि राज्य सरकारों ने सहमति नही दी तब क्या करेंगे गृह मंत्री जी? क्या इस देश के अंदर इस सामाजिक बुराई को कायम रखेंगे? इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते है गृह मंत्री जी से कि आप इसमें रिस्क लीजिए। संसद की यह बैठक 29 जुलाई तक चलने वाली है, यदि आपने इसको स्वीकार कर लिया इस सदन में जिसके लिए हम आपकी प्रशंसा भी कर रहे है और आपको साधुवाद भी दे रहे है कि आपने इस बुराई को स्वीकार किया है तो इस बुराई को स्वीकार करने के लिए आप इसी सत्र में विधेयक लाइए और विधेयक लाकर इस बुराई को समाप्त कीजिए। एक अंक वाली हो चाहे तीन अंक वाली हो, दोनों ही लॉटरियां खराब है। हम फिर दोहरा रहे हैं कि यदि राज्य सरकारों ने अनुमति नही दी तो आप क्या करेंगे? और यदि आपके अधिकारियों ने फिर कह दिया कि हमें अभी छः महीने का समय और चाहिए तब तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी और मान लीजिए कि तब आप ही नही रहे तब तो और भी मजबूरी हो जाएगी।

कोहली जी ने इसकी बुराइयों के बारे में बहुत अच्छा कहा, मैं इसके विस्तार में नही जाना चाहता लेकिन एक बात आपके माध्यम से – सरकार की नॉलेज में होगी, हो सकता है गृह मंत्री जी की नॉलेज में न हो, जानकारी हो भी सकती है – मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लॉटरी एक अंक और तीन अंक की लड़ाई है, एक अंक की

आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैंने एक संशोधन दिया है और बड़ा साधारण संशोधन दिया है कि जहां "एक अंक" लिखा है – मैं हिन्दी वाला पढ़ रहा हूं – यहां "एक अंक" लिखा है और जहां "तीन अंक" लिखा है, दोनों के बीच में मैंने दो शब्द जोड़ने को कहे हैं। वह दो शब्द अगर गृह मंत्री जी कृपा करके जोड़ दें तो यह सारा बवाल खत्म हो जाएगा और आपको बहुत यश मिल जाएगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हिन्दी वाले विधेयक का पृष्ठ – 2, जहां 4 (क) में यह कहा गया है कि "इनाम किसी पूर्व घोषित संख्यांक पर या किसी एकल अंक के आधार पर प्रख्यापित नही किए जाएंगे। "- यही बैन कर रहे है। पूरा जिस्ट यही है, मूल तत्व यही है, एक अंक को बैन करने का। तो जहां इन्होंने कहा है कि "किसी एकल अंक के आधार पर प्रख्यापित नही किए जाएंगे"। वहीं "एकल" के बाद हम कहते है कि "अथवा तीन" इतना जोड़ दे। गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा – यह इस देश के बड़े नेता है और बहुत अनुभवी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इच्छा शक्ति मजबूत रखें। अदालत के लिए आप चिंतित हो रहे है कि अदालत में अगर कोई चला गया तो हम क्या करेंगे? अदालत में अगर कोई जाना चाहे तो जाए, आप क्यों भयभीत हो रहे हैं?

लॉटरी स्पाल, गरीब लोगों की है और जो तीन अंक की लॉटरी है, देश के एक बड़े पूंजीपति घराने की है और उस पूंजीपति घराने ने चार नाम से लॉटरी चालू की है, जब हमारी सरकार थी, हम समाजवादी पार्टी के है, हम लोगों की जब सरकार थी तो हमारी सरकार पर वह पूंजीपति घराना हावी हो गया और जब 124 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर से आवेदन पत्र देश के प्रधान मंत्री को दिया गया तो उन्होंने श्री सोमपाल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनायी। हड़बडी में पिछली सरकार ने जल्दी-जल्दी एक अध्यादेश जारी कर दिया, क्यों न किया?...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : आप उनके जाल में फंस गये (**व्यवधान**)...

श्री ईश दत्त यादव : हम बता रहे हैं कि अब आप उनके कब्जे में हो गये हैं। तो जल्दी-जल्दी में हमारी सरकार ने सोमपाल जी की कमेटी की प्रतिक्षा नही की और एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि एक अंक वाली लॉटरी समाप्त हो जाए। यह जो पूंजीपति घराना है, वह चाहता है कि इस देश में केवल हमारी लॉटरी चले, तीन अंक वाली। उसने खत्म कराने के लिए ऑर्डिनेंस करा दिया। दुर्भाग्य से वह सरकार चली गयी। यह नयी सरकार आ गयी। हम नाम नही लेना चाहते, हम मर्यादित ढ़ंग से सदन के अंदर बात करते है। इस सरकार के भी कुछ लोगों पर पूंजीपति घरानों ने कब्जा कर लिया और कहा कि यह एक अंक वाली लॉटरी तो फिलहाल खत्म हो जाए और तीन अंक वाली चलती रहे। और तीन अंक वाली कब तक चलेगी? जब तक राज्य सरकार की राय नही हो जाएगी, जब तक गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय और न जाने किस मंत्रालय की रिपोर्ट न आ जाए,...(**व्यवधान**)... जब तक गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और उनका विधेयक न आ जाए। महोदय, हमको तो शेर नही आता, हमारे नेता आज़म खान साहब बैठे हैं, वह इसे ठीक कर देंगे।

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।

महोदय, इस शेर को कहने की मंशा यह है कि जब तक तीन अंक की लॉटरी खत्म करेंगे। तब तक इस देश का गरीब खत्म हो जाएगा। यह तीन अंक की लॉटरी माननीय गृह मंत्री जी, जितना आज तक देश बर्बाद नही हुआ है, उससे ज्यादा बर्बाद कर देगी – जब तक आप राज्य सरकारों की प्रतीक्षा करेंगे। यह तीन अंक वाली लॉटरी सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को वापिस ले लीजिए। एक अंक और तीन अंक की लॉटरी चल रही है। जब तक अध्यादेश जारी नही हुआ था, तब तक एक अंक वाली 10 प्रतिशत बिकती थी। अब तीन अंक वाला पूंजीपति घराना एक अंक की लॉटरी खत्म करके उस पर एक छत्र शासन करना चाहता है। इसीलिए मैं अदालत में तो पूंजीपति घराना ही जाएगा, कोई गरीब आदमी नही जाएगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अदालत के भय से इसको न रोकें और न राज्य सरकारों के भय से इसकों रोकें। आप हमारा संविधान अगर स्वीकार कर लें, दो शब्द केवल इस विधेयक में जोड़ दें तो एक अंक वाली लाटरी साफ हो जाएगी और तीन अंक वाली लॉटरी भी साफ हो जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और हमारी सरकार दोनों उस पूंजीपति घराने के दबाव में हैं जो तीन अंक की लॉटरी को खत्म नही करना चाहते है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। हो सकता है कि आपकी जानकारी में न हो, आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनके प्रेशर में यह कानून बनने जा रहा है।

आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी जब कल बोल रहे थे तो उनकी भावना और सदन की भी भावना इस विचार से एकमत है कि लॉटरी खत्म होनी चाहिए । लॉटरी एक जुआ है और किसी भी युग में जुआ को एक बुराई, एक अभिशाप और एक कलंक के रूप में देखा गया है । लॉटरी को कानूनी मान्यता प्राप्त है और हम इसको कानूनी हुआ कह सकते है । गृह मंत्री जी ने कहा कि वह लाटरी को सम्पूर्ण रूप से बन्द करना चाहते है । मैं उनकी भावना का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं परन्तु गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि इस आर्डिनेंस को जहां तक मैंने सुना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सुधार कर दें, इस आर्डिनेंस को लेप्स कराने के लिए भी बहुत जबर्दस्त प्रेशर था । एक अंक की लाटरी हो या तीन अंक की लाटरी हो या मल्टी डिजिट की हो, कोई भी लाटरी हो वह इस देश के गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विनाश का कारण है । जुआ की वजह से एक महाभारत हुआ । ऐसा महाभारत आज रोज घरों में हो रहा है, हजारों घर रोज इस लाटरी की वजह से उजड़ रहे है । गृह मंत्री जी ने इसके संबंध में कंप्रिहेंसिव बिल लाने की बात की है । हमे विश्वास है कि गृह मंत्री जी अपने वचन पर कायम रहेंगे । गृह मंत्री जी आप अब इसमें ज्यादा समय मत लगाइये । आपको राज्यों से जो भी विचार-विमर्श करना हो वह जल्दी कीजिए । इस बिल को लाने में जितना ज्यादा समय लगेगा तब तक उतने ही ज्यादा घर रोज बर्बाद होंगे । यह जो लाटरी माफिया हैं वह तरह-तरह के रोड़े अटकायेंगे । मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो भावना व्यक्त की है, आपने जिन मजबूती से अपनी बात कही है, आप निश्चित रूप से जल्दी ही एक कम्प्रेहिंसिव बिल लायेंगे और सम्पूर्ण रूप से लाटरी को बन्द करवायेंगे । इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI S. VIDUTHALAI V1RUMBI (TamU Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the ouset, I want to make it clear that
1 rise to support this Bill in principle.

Even the ;h we are supporting this Bill, we should know the reasons why the lottery system came into existence in India. As everybody knows, the reasons are obvious. .Doe to paucity of funds anri the inelastic nature of augmenting resources, the Stale Government had, I should say, reluctantly resorted to lotteries. Howev«f, later on the single-digit viral infection spread in this trade in the country. The single digit lotteries had grown like mushroom. It sucked the blood of poor people who were struggling for their livelihood from the dawn to the dusk. I think it is an appropriate step to ban these lotteries. I agree with that. But at the same time, we should also go through other provisions of the Bill. For example, you take sub-clause (K) of cluase 4 along with clause 10 of the Bill. Cause 10 says, "The Central Government may give directions to the State Government..." Sub-cluase (K) of clause 4 says, "Such other conditions as may be prescribed by the Central Government." I feel that these two provisions are not in consonance with the federal principle which is growing in our country. I know the Constitution empowers the Central Government to give directions to the States. That is a quasi-federal system. Now, we are moving towards a federal system. In sub-caluse (K) of clause 4, I suggest you should add some more words, like 'in consultation with the State Government or in consultation with the State concerned'. If it is added, I would appreciate it very much. Likewise, instead of giving direction, the Central Government may intimate, communicate or inform the State Governments. I think these words would be more appropriate there.

In clause 7 of the Bill, there is a provision that if the Central Government feels that any head of the Department has contravened the provisions of this particular Bill, then they will be liable for punsihment. What I say is this: No head of the Department will voluntarily contravene the provisions of the Bill. If

anything hapens in any State and if the Government feels that some provisions of the Bill have been contravened, then the Government should find out whether that particular occurence has happened by a mistake or it was more or less an error. If an error is committed, then the officer should not be punsihed. If he has done it unitentionally, then he should not be punished. But, at the same time, if it is done intentionally, then it is not an error. It is a mistake which has been committed intentionally. In that case, that officer can be punished. With these words, I support this Bill. I hope that all Members of the House cutting across party lines would support this Bill.I stand with this Government in this matter and I support this Bill.

SHRI BRAHMKUMAR BHATT (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate the hon. Home Minister for taking the first step in banning the single digit lotteries. It had become a menace not only for the poor people but also for the middle class, particularly the lower middle class. These people have been wasting their money in these lotteries. Sir, Advaniji knows that Thandia is an area where I was staying for years together. In that area, within a distance of 200 metres, there are three shops of lottery vendors. They are surviving for so many years. Not only the poor people but even the middle class people are involved in this trade. I have got a glaring example of one of my relatives who is in a bank. As he was taking lotteries, he wasted his salary in it. As a result, he took loans from different persons. He was paying an interest of 10 per cent per month on the loan amount. If he has taken Rs. 1000, then he has to pay Rs. 100 per month as interest. So, he took that type of money. Ultimately, a situation came that whenever he came out of the bank, all persons from whom he had taken loans were standing at the gate of the bank. His entire salary was given over to those persons and he was coming to his house without any money whatsoever. So, this menace is a deep rooted menace. The main question before the Home Minister, as I understand, is that it is, perhaps, a State-subject. In the State list at No. 34 what is mentioned is 'betting and gambling*. I would urge upon the Home Minister to look into this. In my personal view, lottery is neither betting nor gambling. Lottery is something else. It is only a game of chance. There is no intelligence to be used as in the case of puzzle where intelligence is used. Here, no intelligence is to be used. It is neither betting not gambling. It is simply purchasing a ticket and taking a chance of winning money by paying some money for purchase of lottery tickets.

The hon. Home Minister has stated that he is proposing to consult the States. Whether consultation or confirmation, these two are obviously two different things. If the Government is going to have confirmation of the States, I assure the Home Minister that States will not agree to this. An hon. Member who just now spoke referred to paucity of funds. Can you remove paucity of funds at the cost of the poorest of the poor persons? Same is the case with prohibition. Sir, by allowing drinking wine and liquor, States want to have money and if there is no money from wine and liquor then the States cannot survive! That is not the fact. I know that Andhra Pradesh and Haryana have gone back on it. There was prohibition in these States. They have now scrapped prohibition and free sale of liquor and wine is going on.

This also is a menace. It is not fair to think that because of prohibition, States will not flourish. In Gujarat -there is prohibition. Shri Advani knows and he represents Gujarat. Gujarat is a flourishing State. The State came into existence in 1960 after separating from the then Bombay State. Everybody was saying that the State would not survive without the Bombay city and that only because of Bombay, Gujarat was surviving. But today Gujarat has surpassed Maharashtra in spite of

Bombay city. In every respect Gujarat has surpassed Maharashtra. My friend, Mr. Nirupam, is laughing. I can prove it from the point of view of investment, from the point of view of factories and workers, from the point of view of per capita income, electricity consumption etc. Gujarat is far ahead of Maharashtra in spite of the fact that there is prohibition. If lottery is menace, then wine drinking is also a menace. There also only poor people are wasting money after that. I am not discussing the prohibition problem here.

I congratulate the Minister now. I request him that a total ban should be imposed. As the hon. Minister said, people might go to court. In my opinion, people will not go to court. Let the Government not take a backward step in this. The step taken now is in the right direction. Particularly women and children of the persons who are wasting money after destroying their family life, will bless the Government if the Government takes a bold step and puts a total ban on lotteries. If that is done, I believe, the whole House will support. Not only that, the entire nation will appreciate the step taken. A dispute might be raised by some people saying that it is a State-subject. It may be interpreted that way. I do not know what would be the position in court. If it is mentioned as a State-subject, it is mentioned only 'betting and gambling.' I submit that the Home Minister may kindly note this. I personally feel that it is neither betting nor gambling. It is simply a matter of chance by paying some money and getting some money. Therefore, I support the Bill. I request the Home Minister not to try to have confirmation of the States. The States will never give their confirmation.

Secondly, a comprehensive Bill should be brought before the House putting a total ban on lottery because it is a social menace destroying the family life of lakhs and lakhs of people of this country. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (सनातन बिसि) : प्रो0 राम बख्स सिंह वर्मा जी । आप दो मिनट में समाप्त कीजिये ।

प्रो0 रामबख्स सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) **:** मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कल से लाटरी पर चलने वाले डिबेट को सुन रहा हूं और अन्य वक्ता साथियों की तरह मेरी भी यह धारणा है, मेरी ही नही बल्कि संसार के करोड़ों लोगों की यह धारणा है कि लाटरी का व्यवसाय प्रकारंतर से जूआ है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस लाटरी से करोड़ों घर उजड़ गए हैं । लाटरी का टिकट लेने वाले सभी लोगों के मन में सदा एक ही बात बनी रहती है कि आने वाले लाटरी के ड्रा में इनाम उसी को मिलने वाला है । उस रुपये से वह अच्छा मकान बनाएगा और सुख-सम्पत्ति के तमाम साधनों को इकट्ठा कर के एक शानदार जिन्दगी जीयेगा, बिताएगा । ऐसी उसकी धारणा होती है । परन्तु होता यह है कि लाटरी के ड्रा पर ड्रा होते रहते है, करोड़ों लोगों में से कुछ 100 लोगों को इनाम मिल पाता है । जिन लोगों को इनाम नही मिल पाता है उन करोड़ों लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लाटरी के जूए के नाम पर व्यय होता रहता है । लाटरी का जूआ खेलने वाले लोगों को यह आशा बनी रहती है कि इस बार नही तो अगली बार अवश्य इनाम उन्हीं को मिलेगा। इस प्रकार उन्हें लाटरी का एक नशा सा बना रहता है जिस तरह से शराब पीने वाले व्यक्ति को नशा होता है, जब वह लती हो जाता है, और लाटरी खेलने वाले लोगों के परिवार लगातार उजड़ते रहते है । उनके घरों की स्मृद्धि समाप्त हो जाती है । उनके परिवार गृह कलह से उजड़ते रहते हैं । मैंने भी ऐसे कई परिवारों के देखा है जिनके सदस्य लाटरी खेलते हैं । उन घरों की गृहणियों ने कई बार आत्म-हत्या कर ली है । मुझे स्वयं ऐसे परिवारों का ज्ञान है । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस जिले से आता हूं, उस जिले में और उस क्षेत्र में कई परिवारों के घरों की महिलाओं ने आत्म हत्याएं की है, लाटरी की वजह से । अतः मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि लाटरी का व्यवसाय चाहे किसी भी रूप में हो, उसके प्रचलन पर प्रतिबंध लगना ही चाहिये । माननीय गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि सभी राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों से सलाह कर के सभी प्रकार की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे एक व्यापक विधेयक सदन में लाएंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं, सम्पूर्ण सदन को स्वागत करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं लाटरी (विनियमन) विधेयक, 1998 का समर्थन करता हूं । मान्यवर, आपने मुझे बोलने का

समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद । मैंने कम समय में अपनी बात कहने की कोशिश की है । आपको धन्यवाद ।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Respected Vice-Chairman, Sir, I would like to say that this business of lottery is nothing but another form of;' gambling. This should be totally banned^ Here I would like to quote our Father of the Nation, Mahatma Gandhiji. When he was leaving for a foreign country to study there, he gave a promise to his parents that he would not touch wine, woman and gambling. The reason for this is that wine, woman and gambling spoil the entire society and affect the man's life in total. In Tamil it is said *madhu, mangai* and *soodu.* These are the three things which spoil the entire society. This *soodu* i.e., lottery comes under the last category of gambling.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I have one objection. Sir, women are not spoiling the society.

SHRI R. MARGABANDU: In the interest of the nation and in the interest of humankind, there should be a total ban on lotteries. As a matter of fact, the other day, the hon. Home Minister himself has assured in the other House that he is not in favour of lottery. He has himself stated that on 17.05.1997 124 Members of Parliament had met the then Prime Minister, Mr. Gujral, and presented a memorandum to ban lottery. When such is the case, the mind of the hon. Home Minister is also inclined to ban lotteries at a future date. We are not supporting this Bill whole-heartedly but only half-heartedly with a hope that this Government will come forward with a legislation to repeal this Act. Under Section 4 of the Bill, ten conditions have been laid. Apart from those ten conditions, one more condition has been added which says, "Such other conditions as may be prescribed by the Central Government." Sir, subject to the ten conditions, the State Government is permitted to conduct or organise these lotteries for the purpose of augmenting the resources of the Government concerned. It is rightly said by one hon. Member that the augmentation of funds to the Government should not be at the expense of the poor man. It is only the downtrodden people, it is only the daily-wage earners and it is only the coolies who are earning daily-wages who are prone to think of becoming *lakhpatis* and *crorepatis* in a day or two. In that way, whatever he earns on that particular day, with that he purchases ticket and goes to the house without a single pie and leaves the entire family members in starvation. Is it the intention of the Government to augment resources at the expense of the poor people? Sir, the rich man is not purchasing the lottery tickets at all. A man who is well in his economic position does not resort to this. So; this is spoiling the entire community. I hope that this Government will come forward with another legislation scrapping and banning the entire lottery. As a matter of fact, the Supreme Court has also given a judgment for banning lotteries. But, now, the lottery business is being done under the stay. Of course, it is being run after obtaining a stay from the Supreme Court. One welcome issue is, under Section 5, it is said, ?A State Government may, within the State, prohibit the sale of tickets of a lottery organised, conducted or promoted by another State." It is a welcome feature. When it is said, "A State Government may organise, conduct or promote a lottery, subject to the following conditions...", my point is, when the State Government is conducting this lottery, where is the question of punishment under Section 7?"There may not be any necessity if it is run by the Government itself. According to Sub-Section 1, any lottery organised by any department of a State, the head of the department shall be punished. There may not be any necessity for this penal provision at all.

The other thing is, under Section 9 it is said, "Provided that nothing contained in this sub-section render any such person liable to any punishment if he proves that

the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence." Now, under the criminal jurisprudence, in our Indian system, the burden of proof is on the prosecution. They will have to establish the guilty. The offence has to be proved beyond reasonable doubt, then alone one could be convicted.

6 P.M.

But, here the French legal system has been introduced, where the accused is called upon to prove his innocence. So, that requires reconsideration. Keeping in view the fact that this has affected the common man, the poor man and it has spoiled his entire career, I hope that the Central Government would come forward with a Bill to repeal this Act itself soon.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Hon. Members, I have to take the sense of the Ho use... *(Interruptions)...*

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): I would only request the hon. Members to be very brief because this Bill has to be passed today as there is a deadline. So, if the Members make their observations very brief and allow the Home Minister to complete... *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Now, Shri Ram Nath Kovind.

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश) : सर, इसमें बहुत व्यापक चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं नही बोलना चाहूंगा और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : श्री सतीश प्रधान।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा।...**(व्यवधान)...**

एक माननीय सदस्य : मुंबई की कोई लॉटरी नही है।...**(व्यवधान)...**

श्री सतीश प्रधान : अच्छा ठीक है, मैं भी नही बोलता। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : श्री गांधी आज़ाद।

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जब से चर्चा चल रही है मैं बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुन रहा हूं और लगातार हमारे माननीय सदस्यगण यह कहते नज़र आए हैं कि लॉटरी एक प्रकार का जुआ है और जुआ एक अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति का द्योतक है। लेकिन आश्चर्य हो रहा है कि इस अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यह लॉटरी जब अपराध है तो अपराध को बढ़ावा देने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है। इसलिए हम तो इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि यदि लाटरी एक प्रकार का जुआ है, इससे अपराध बढ़ रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति का द्योतक है इससे आम जनता, गरीब मज़दूर, मज़लूम सारे लोग प्रभावित होते है तो इस विधेयक को मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि इसको वापिस किया जाए, इस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। इस लाटरी के दुष्परिणाम रहा है और आज यहां पर गरीब व्यक्ति दैनिक वेतनभोगी और असंगठित मजदूर इससे काफी प्रभावित होता है। इतना ही नही, वह इतना भाग्यवादी और अंधविश्वासी हो जाता है कि लाटरी के चक्कर में पुरूषार्थ और आत्म-विश्वास को भी खो बैठता है, जिसके कारण अपने बच्चों एवं परिवार का भविष्य भी उसी गर्त में डाल देता है, स्वयं अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने लगता है। मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि यह व्यक्ति परिवार और समाज के लिए घातक है। महोदय, जो भी प्रदेश में मुख्य मंत्री, मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी थीं और गरीब के हित का चिंतन करते हुए राजस्व की चिंता किए बगैर लाटरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार को इससे राजस्व जरूर मिलता है, लेकिन हमारा सुझाव है कि लाभ और हानि के लिए नही बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार करती है।

अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि किसी भी हालत में लाटरी पर न तो प्रदेश को छूट देनी चाहिए और न केन्द्र सरकार को इसको चालू रखना चाहिए और इसलिए मैं पुनः गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

SHRI DRUPAD BORGOHAIN (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I will not take much time. Everybody says that lottery is a social evil and that it is a kind

of gamble. I also believe it, and for that reason I do not support this Bill. Instead of this Bill, at least, our Home Minister should bring a comprehensive Bill for a total ban on the lottery. In this Bill, it is proposed that one digit lottery should be banned, but still three digit lottery is there. A lottery is a lottery, whether it is one digit or three digit one. So, we want that a comprehensive legislation — which is very much essential for having a total ban on the lottery — should be there.

Secondly, this lottery business brings ruin to family after family. Some suicidal cases were also reported. That is the position. It brings crores of rupees to some mafias and to certain fellows, but it harms lakhs and lakhs of people. That is the position. Somebody argued that it generates some employment. What type of employment does it generate? What good is this type of emloyment? Is it good? It is not good emloyment. So, we should ban the lottery.

Then there is another argument and that is about revenue. It was argued by somebody that revenue has been brought to the States with the help of lotteries. I think this type of bringing revenue to the State is not good. Most of the States have certain natural resources. If our Central Government helps to utilise these natural resources, that is, if they give some money to utilise the natural resources, then the State Governments can set up industries and develop other work. Then, perhaps more revenue could be brought. So, it would have been better for the Central Government to do such type of thing instead of doing this business. I request our Home Minister to bring a comprehensive Bill to have a total ban on this. That is my point.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, since the hon. Home Minister has given an assurance that he may come forward with a new Bill, a comprehensive Bill, shortly before the House, on the basis of that assurance, I withdraw the resolution. I request for permission to withdraw it.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कल से यह जो बहस आरंभ हुई और अभी समाप्त हुई, उसमें अनेक सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उन सबका आभारी हूं क्योंकि उन्होंने शब्दों का प्रयोग चाहे जो किया हो, लेकिन कुल मिलाकर के इस विधेयक की भावना का अनुमोदन किया है और इस सरकार के निर्णय का भी स्वागत किया है कि इस विषय में एक व्यापक विधेयक सदन के सामने लाया जाएगा, जिसके द्वारा सब प्रकार की लाटरियां पर प्रतिबंध लग जाएगा । मैं विशेष रूप से आभारी हूं चित्तरंजन जी का, जिन्होंने बहस का आरंभ किया एक डिसएप्रूवल मोशन के द्वारा और मेरे आरंभिक वक्तव्य के आधार पर ही उन्होंने निर्णय किया कि मैं उस डिसएप्रूवल मोशन का पराग्रह नही करूंगा और उन्होंने उसको वापस ले लिया ।

महोदय, मैंने यहां देखा कि जितनी सारी चर्चा यहां हुई है, उसमें जिस बात पर कुछ विवाद रहा है, वह यह रहा है कि आप यह सिंगल डिजिट लाटरी पर ही बेन क्यों लगा रहे है । ईश दत्त जी को तो लगा कि सरकार किसी दबाव में है और उस दबाव में आकर के ऐसा कर रही है । मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नही है । अगर किसी एक व्यक्ति के नाम से, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य का नाम भी जुड़ता है, तो यह नही समझना चाहिए कि उनका कोई रिश्ता है, कोई संबंध है । वह तो कहते हैं कि मैंने तो शक्ल ही नही देखी है उसकी । मैंने पूछा था क्योंकि उसकी चर्चा हुई थी, शायद सबसे पहले स्टेंडिंग कमेटी में उसका जिक्र हुआ था । उससे वह बड़े उदिवग्र थे, बड़े परेशान थे कि मेरा नाम कहां बीच में से आ गया ।

महोदय, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा स्टेडिंग कमेटी का क्योंकि हमारे सामने दुविधा थी हमको लगता था कि पिछले साल सरकार ने लाटरियां बंद नही की । यह जो अभी बात हुई कि लाटरी अपराध है, लाटरी अपराध नही है । आज कानूनन लाटरी चल सकती है, लेकिन लाटरी एक सामाजिक अभिशाप है, यह सब मानते है । कानूनन अपराध नही है । कानूनन जब तक हम उसको कानूनी अपराध नही घोषित करते तब तक अपराध नही है । जहां तक भारत के संविधान को अगर कोई देखे तो उसमें देखेगा कि यूनियन लिस्ट जो है कि किन-किन विषयों पर सरकार कानून बना सकती है तो उस यूनियन लिस्ट की एण्ट्री 40 में है –

"Lotteries organised by the Government of India or the Government of a State."

इसको देखकर के तो मुझे लगता है कि शायद इसको लीगल एंगल से भी देखना पड़ेगा कि जो प्राइवेट लाटरी हैं, उनके संदर्भ में केन्द्रीय सरकार का किताब अधिकार है। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए शायद स्टेडिंग कमेटी ने जरूरी समझा की आप स्टेट गवर्नमेंटस से भी सलाह

लिजिए। स्टेट लिस्ट में तो गैम्बलिंग और बैटिंग है, लाटरी नही है, लाटरी जो है वह केवल यूनियन लिस्ट में है और यूनियन लिस्ट में भी नाम लेकर के प्राइवेट लाटरी का जिक्र नही है। उसमें खाली इस बात का जिक्र है कि –

"Lotteries organised by the Government of India or the Government of a State."

अब इसका कानूनी तौर पर बारीकी से विश्लेषण करना पड़ेगा। जब किसी समय हम यह कहते है कि हम राज्यों से सलाह करेंगे तो उसमें यह उद्देश्य कदापि नही है कि हम इस विषय को विलंब के लिए आगे बढ़ाना चाहते है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने जब स्टेटस को कन्सल्ट करने की बात की तो केवल इसलिए की क्योंकि स्टेडिंग कमेटी, जिसमें सभी पार्टीयों के प्रतिनिधि शामिल है, उन सबने सर्वसम्मत रूप से भी मुझे सिफारिश की थी और उसमें कहा था कि कम्परेहेन्सिव बिल लाने से पहले आप सभी स्टेट्रस को कन्सल्ट करिए। हो सकता है कि यह सुझाव इसलिए भी दिया गया हो क्योंकि यह कानून प्रभावी तभी होगा, जब सभी स्टेट्रस से कन्सल्ट किया जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सदन की भावना इस बारे में सर्वसम्मत है। इसीलिए मैंने यह नही कहा कि अगर सब सदस्य, सब जितने राज्य है, वह सर्वसम्मत इसकी सिफारिश करेंगे तो मैम विधेयक लाऊंगा। यह मेरा कथन नही है मुझे विश्वास है कि कंसेंसिस इसी पक्ष में होगा, जो सर्वसम्मत राय यहां पर है और कंसेंसिस अगर इस पक्ष में होगा तो मैं इस प्रकार का व्यापक विधेयक संसद में लाऊंगा और वह पुख्ता होगा, कानूनी तौर पर उसको चुनौती न दी जा सकती हो, ऐसा होगा। मैं यह विश्वास दिलाते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विधेयक का मोटे तौर पर समर्थन किया। आपने जो अपनी-अपनी शंकाएं भी प्रकट की, वे शंकाएं भी सदभावना प्रेरित थीं। धन्यवाद

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I shall now put the motion moved by Shri L.K. Advani to vote.

The question is:

"That the Bill to regulate lotteries and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 4 (Conditions subject to which lotteries may be organised etc.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTAN BISI): Clause 4. There is an amendment moved by Shri Ish Dutt Yadav.

श्री ईश दत्त यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष जी। मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं कि :-

"पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 7 में, "एकल अंक" शब्दों के पश्चात "अथवा तीन अंक" शब्द अंतः स्थापित किए जाएं।"

The question was proposed.

श्री ईश दत्त यादव : उपसभाध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी की बात से हम संतुष्ट है और विश्वास भी है कि ये विधेयक लाएंगे, लेकिन, मान्यवर, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से हमारा अनुरोध है और हम चाहते है कि वे इस सदन में बताएं कि कितने समय के अंदर यह संभव हो सकेगा की लॉटरी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए वे विधेयक सदन में प्रस्तुत कर देंगे? उतना हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी सदन को इस बारे में अवगत कराएं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो स्टेडिंग कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशन की है उसमें उन्होंने एट दि अरलिएस्ट कहा है, तो मैं शीघ्राति-शीघ्र लाऊंगा

श्री ईश दत्त यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी के आश्वासन पर मैं अपने संशोधन को वापिस ले रहा हूं।

The amendment was, by leave, withdrawn.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 13 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, I move: "That the Bill be passed."

The question was proposed.

SHRI VAYALAR RAVI (KERALA): Mr. Vice-Chairman, Sir, there is no provision here, no has anything been mentioned about the counterfeit notes that are printed in the country. A lot of counterfeit tickets are also distributed by the agents. I would like to know what the Government proposes to prevent such an action by culprits.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, Clause 4 of this Bill refers to the fact that the State Government must take necessary precautions insisting on even a logo. This is by statute. This statutory provision is intended to take care of this kind of counterfeit lotteries.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): New the question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

FAREWELL TO RETIRING THE MEMBER

SHRI VAYALAR RAVI KERALA: Sir, Mr. S.S. Ahluwalia is leaving the House aftaer a long service to the House. So, let us bid farewell to him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): The House expresses its pleasure that Mr. S.S. Ahluwalia has Contributed valuable suggestions and submissions during his tenure in the House. The House is grateful to him for the service he rendered.

The House is now adjourned till 11. a.m. on 9th July, 1998.

The House then adjourned at twenty minutes past six of the clock till 11 a.m. on Thursday, the 9th July, 1998.